न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 58/2018/अपील

भानाराम पुत्र शैतानराम, जाति जाट, निवासी गुढ़ा (खुर्द), तहसील व जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार –सीकर।
रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
1. श्री पोकरमल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 16.07.2018 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 21 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा पत्रावली पर आई हुई साक्ष्यों के विपरीत पारित कर भारी कानूनी भूल की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब का कोई हवाला तक नहीं दिया है जबकि नोटिस के जवाब में अपीलान्ट ने साफ लिखा है कि अपीलान्ट इस भूखण्ड पर 25–30 वर्षों से ही छप्पर एवं टीनशेड बनाकर निवास कर रहा है। जबकि गैर मुमकिन रास्ते कि लिए खातेदार ने भूमि दिनांक 12.04.2018 को समर्पण की है। इससे पूर्व यह भूमि खाते में तो अन्य के नाम से थी परन्तु कब्जा, काश्त सदैव से ही अपीलान्ट का ही चला आ रहा था।

(3) अपीलान्ट एवं भूमि समर्पणकर्त्ता केसर देव के पिता एक ही परिवार के है और पारिवारिक बंटवारे में यह भूमि अपीलान्ट के पिता को ही दी हुई थी जिसको पूर्व में अपीलान्ट के पिता कब्जा काश्त किया करते थे और वर्तमान

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

में अपीलान्ट के कब्जे, काश्त मे है। मौके पर कोई रास्ता न तो कभी पूर्व में रहा है और न ही वर्तमान वक्त में मौजुद है।

(4) भूमि को जब केसर देव द्वारा समर्पित की गई तब भी अपीलान्ट काबिज था और अपीलान्ट का कब्जा पुराना है जब तक भूमि खाली न हो और खातेदार के कब्जे में न हो तो सर्वप्रथम उस भूमि को खाली कराया जाना कनूनी रूप से आवश्यक है। इसके पश्चात ही समर्पण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कब दिखाया गया, मौके पर कौन गया इस बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्ट की गैर हाजिरी मौका देखा जाना कोई मायना नहीं रखता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट इस भूखण्ड पर 25–30 वर्षों से छप्पर एवं टीनशेड बनाकर निवास कर रहा है। जबकि गैर मुमकिन रास्ते कि लिए खातेदार ने भूमि दिनांक 12.04.2018 को समर्पण की है। इससे पूर्व यह भूमि खाते में तो अन्य के नाम से थी परन्तु कब्जा, काश्त सदैव से ही अपीलान्ट का ही चला आ रहा था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.07.2018 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम ग्राम गुढ़ा खुर्द में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 380/2 की संयुक्त खातेदारी भूमि थी, जो बाद में

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

केसरदेव पुत्र कानाराम के नाम (विभाजन) होने से केसरदेव द्वारा भूमि रास्ते हेतु समर्पित की गई है। उक्त समर्पित भूमि (गैर मुमकिन रास्ता) पर ही भानाराम पुत्र शैतानाराम जाति जाट निवासी गुढ़ा खुर्द द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि भानाराम पुत्र शैतानाराम जाति जाट निवासी गुढ़ा खुर्द द्वारा ग्राम गुढ़ा खुर्द के खसरा नम्बर 644/380 कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 36 वर्गमीटर रास्ते में 3X12 वर्गमीटर का मकान बनाकर सीमेंट टीनशैड की छत डाल कर अनधिकृत अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया है। अपीलान्ट द्वारा इस भूमि के तथ्यों के विपरीत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर के निर्णय दिनांक **16.07.2018** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक :**21 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/19

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner